सं0 ए-35018/2/2014-प्रशा.1 तार-इनरपावर

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519

दिनांक 04 AUG 2014

प्रति

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
(3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
(4) सभी राज्य विद्युत बोर्डो/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
(5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
(6) सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
(7) अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
(8) सचिव, पीएसईबी, नई दिल्ली।

विषयः प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के सबंध में ।

महोदय,

मुझे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) के पद की रिक्ति को परिचालित करने का निदेश हुआ ।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद का वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के समान रु. 22,400-525-24,500/- (संशोधन-पूर्व) [(रु. 67,000-79,000/- (संशोधित)] है । इस पद के पदधारी केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों/लाभों के हकदार होंगे ।

3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जा रही है ।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70(5) में प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे

जिन्हें अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य, अथवा वित्त मामलों से संबधित समस्याओं की जानकारी हो तथा इन्हें सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो, तथा वे इसमें सक्षम हों।

5. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2005 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम पांच वर्षों के लिए नियमित आधार पर 18400-500-22400 रुपए (संशोधन पूर्व) [37400-67,000 रुपए + 10,000 रुपए का ग्रेड वेतन (संशोधित)] में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद या उच्च पद अथवा वेतनमान;

अथवा

कम से कम पांच वर्ष तक नियमित आधार पर, राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त खण्ड (क) में वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना भी आवश्यक है ।

6. सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिक), सीईए के पद से जुड़े कर्तव्य एवं दायित्व **अनुबंध-1** में दिए गए हैं ।

7. सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित समयावधि तक पद पर रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः पांच वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी रूप से अंतर्लयन हेतु पात्र नहीं होंगे । इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** होगी ।

8. पद के लिए आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु अंतिम तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।

9. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ, संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-II) (चार प्रतियों में) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि यह रिक्ति के एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर अवर सचिव (प्रशासन-I), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 225, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001. के पास पहुंच जाएं-

(i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की प्रमाणित फोटो-प्रतिलिपियां।

(ii) सतर्कता संबंधी अनुमति प्रमाण-पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जो उप सचिव, भारत सरकार से नीचे के पद का न हो) ।

(iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा ।

10. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

पी.पी.बोस

(पी.पी. बोस)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23715327

संलग्नःयथोपरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

(i) विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव ।
(ii) सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (डीसी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (आरएनसी) के प्रधान निजी सचिव।
(iii) एनआईसी, विद्युत मंत्रालय को रिक्ति परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले जाने के लिए। इस परिपत्र को अक्तूबर, 2014 के अंत तक वेबसाइट पर रखा जाए।

पी.पी.बोस

(पी.पी. बोस)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23715327

अनुबंध-I

सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्तव्य एवं दायित्व

****

विद्युत नीतियों एवं परियोजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन; नाभिकीय विद्युत केंद्रों के प्रशुल्क का मूल्यांकन; वित्तीय पैकेज; वित्तीय पैरामीटर; निर्माण के दौरान ब्याज तथा समापन लागत; व्यापक विद्युत प्रशुल्क संरचना की जांच; राज्य विद्युत बोर्डों का निष्पादन; आयात शुल्क छूट हेतु संवीक्षा; मान्य निर्यात लाभ का प्रमाणन; बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए समन्वय; विद्युत क्रय करारों की जांच; कानूनी मामलों पर परामर्श आदि।

****

अनुबंध-II

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) के पद हेतु आवेदन-पत्र

भाग-I

जीवन वृत्त

1. नाम और पता दूरभाष नंबर सहित (स्पष्ट अक्षरों में)		
2. जन्म तिथि (ईसवी सन् में)		
3. केंद्र/राज्य सरकार/मूल संगठन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि		
4. शैक्षिक योग्यता		
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं । (यदि किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकारी का उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
	(1) (2) (3)	
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के मद्देनज़र क्या आप पद संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं		

7. कालानुक्रम में रोजगार के ब्यौरे । यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्वःप्रमाणित कागज संलग्न करें

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार से)

8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।	
9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं- क) आरंभिक नियुक्ति की तारीखः ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं	

13 01 15

10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्तशासी संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान च) अन्य	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधित पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं	
12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें । (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं) (नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न करें)	
14. टिप्पणियां (आवेदक (I) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाएं (II) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/कार्यालयी सम्मान (III)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (iv) कोई अन्य सूचना दर्शा सकते हैं। (नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज संलग्न करें)	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का भी, पद चयन के समय, चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पता:.................................
दूरभाष/मोबाइल नं0...............
फैक्स नं0.........................
नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालयी मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-II

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं0.........................

दिनांक....................

प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) ऊपर उल्लिखित अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा विचारणीय नहीं है;

(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें);

(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हस्ताक्षर.........................
नाम.............................
पदनाम.........................
कार्यालय.......................

(आवेदन-पत्र का भाग-II सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से नीचे के पद का न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)

****